भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2773
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियां

2773. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत फसल बीमा प्रदान करने वाली विभिन्न कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान चित्रदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितने किसानों की फसलों का बीमा किया गया है तथा उक्त कंपनियों द्वारा फसल क्षति के लिए हर्जाना दिया गया है:

(ग) क्या सरकार को विशेषकर कर्नाटक से प्रतिकर संबंधी मामलों तथा प्रतिकर में विलंब के बारे में कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क): प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) को खरीफ 2016 सीजन से देश में कार्यान्वित किया गया है। इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विशिष्ट बीमा कंपनी का चयन किया जाता है। वर्तमान में, एचडीएफसी एर्गो, इफको-टोकियो, क्षेमा जनरल, ओरिएंटल इंश्योरेंस, टाटा एआईजी, यूनिवर्सल सोम्पो और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कर्नाटक राज्य में इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ख): पी.एम.एफ.बी.वाई. में आंकड़े निर्वाचन क्षेत्र-वार नहीं रखे जाते हैं।
(ग) और (घ): स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान के आकलन से संबंधित सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त समिति और संबंधित बीमा कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि, पी.एम.एफ.बी.वाई. के कार्यान्वयन के दौरान, बीमा कंपनियों के विरुद्ध दावों का भुगतान न करने और विलंब से भुगतान करने, बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत तरीके से/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण दावों का कम भुगतान करने, उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से की धनराशि प्रदान करने में विलंब, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न करने आदि के बारे में कुछ शिकायतें देश में पहले भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश शिकायतों का उचित तरीके से समाधान कर दिया गया है।

चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित अन्य शिकायतों को हल करने के लिए, योजना के संशोधित परिचालन दिशा-निर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डी.जी.आर.सी.),

राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एस.जी.आर.सी.) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को परिचालन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (के.आर.पी.एच.) विकसित की गई है और जनवरी, 2024 में प्रारंभ की गई है। एक सिंगल ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर 14447 भी प्रारंभ किया गया है और बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहाँ किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे उठा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों को हल करने की समय-सीमा भी तय की गई है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों को एक एकीकृत मंच पर स्टेकहोल्डर्स की शिकायतों की निगरानी करने में मदद मिली है।

*****